अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक : F 26(4)( )/Budget/PMMVY/ICDS/2018/ 140982-1318 दिनांक : 3-8-18

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त

बाल विकास परियोजना अधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएँ
समस्त

विषयः– PMMVY योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों में आवंटित बजट के संबंधि में।

संदर्भः– विभागीय पत्र क्रमांक F.2 ( )Budget/आवं./ICDS/2018/ 78811-9147 दिनांक 08.05.18 एवं F.2 ( )Budget/PMMVY/ICDS/2018/ 128987-9323 दिनांक 12.07.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों में बजट आवंटन किया जा चुका है। योजना के प्रभावी रूप से क्रियान्वयन के लिए ब्लॉक स्तर पर जॉब बेसिस पर डेटा एन्ट्री कार्य के लिए तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को टीम इन्सेटिव के रूप में फलेक्सी फण्ड से भुगतान किये जाने हेतु प्रत्येक सीडीपीओ कार्यालय को बजट आवंटन किया गया था किन्तु खेद का विषय है कि आज दिनांक तक उक्त मद में केवल 20 प्रतिशत राशि का ही व्यय हुआ है, जिसके राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा गंभीरता से लिया गया है।

अतः जिन बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा फलेक्सी फण्ड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को टीम इन्सेटिव व जॉब बेसिस पर डेटा एन्ट्री कार्य के लिए भुगतान नहीं किया गया वे दिनांक 10 अगस्त, 2018 तक भुगतान करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही अप्रेल से जुन 2018 तक का व्यय विवरण व उपयोगिता प्रमाण पत्र 6 अगस्त, 2018 तक भिजवाना सुनिश्चित करावें।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों में आवंटित बजट का उपयोग यथा समय करना सुनिश्चित करें अन्यथा इसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : F 26(4)( )/Buget/PMMVY/ICDS/2018/ 141319-321 दिनांक : 3-8-18

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, आयुक्त, आईसीडीएस, राजस्थान जयपुर
2. निजी सचिव, प्रभारी अधिकारी (PMMVY)/अतिरिक्त निदेशक (आई), जयपुर
3. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

प्रभारी अधिकारी (PMMVY)/
अतिरिक्त निदेशक (आई)